इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 सितम्बर 2019—आश्विन 5, शक 1941

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2019

सूचना

क्रमांक- एफ-3-70/2018/18-5 :- मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम नियम, 2012 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 24 उपधारा (3) के साथ पठित धारा 85 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त् शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 85 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों की जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिये एतद द्वारा प्रकाशित किया

जाता है और एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त संशोधन के प्रारूप पर, इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन का अवसान होने पर विचार किया जाएगा।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त संशोधन के प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा।

प्रारूप संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 15 में, -

1. उपनियम (1) में,-
   (एक) शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर, शब्द "संचालक" स्थापित किया जाए।
   (दो) शब्द "भू-स्वामी" के स्थान पर, शब्द " व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह द्वारा" स्थापित किया जाए।
2. उप-नियम (3) का लोप किया जाए।
3. उप-नियम (4) में,-
   (एक) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्न लिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :-
   "(क) यदि संचालक चाहे तो सिटॉप से तथ्यात्मक स्थल निरीक्षण रिर्पोट प्राप्त कर सकता है, साथ ही और पूर्व कथित रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा सिटॉप को ऐसी फीस का भुगतान करेगा जैसा कि इस के द्वारा अवधारित की जाए।"
   (दो) खण्ड (ख) में शब्द "व्ही.पी.एस." के स्थान पर, "संचालनालय" स्थापित किया जाए।
   (तीन) खण्ड (ग), में शब्द "व्ही.पी.एस." के स्थान पर, "संचालनालय" स्थापित किया जाए।
   (चार) खण्ड (घ) का लोप किया जाए।
4. उप-नियम (5) में,-
   (एक) शब्द "व्ही.पी.एस." के स्थान पर, "संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश" स्थापित किया जाए।
   (दो) शब्द 6 में, अनुक्रमांक 6 में, शब्द "मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ का परियोजना संचालक" के स्थान पर, शब्द "संचालक, द्वारा नामनिर्दिष्ट संयुक्त संचालक" नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय" स्थापित किया जाए।
5. उप-नियम (6) मे, शब्द " विकास प्राधिकरण संघ" का लोप किया जाए।
6. उप-नियम (7) में, शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर, शब्द "संचालक" स्थापित किया जाए।

7. उप-नियम (8) मे शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर, शब्द "संचालक" स्थापित किया जाए ।
8. उप-नियम (9) में, शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर, शब्द "संचालक" स्थापित किया जाए ।
9. उप-नियम (9) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अत:स्थापित किया जाए, अर्थात :-

"(9)(क) आपत्तियों एवं सुझावो पर विचार करने के पश्चात्, संचालक उपांतरणों के लिए दस्तावेज अपने मत के साथ राज्य सरकार को भेजेगा।

10.उपनियम (10) में शब्द "समिति की" का लोप किया जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनजी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2019

क्र. एफ-03-70-2018-अठारह-5.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 खण्ड (3) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास की अधिसूचना क्रमांक-एफ-03-70-2018-अठारह-5, दिनांक 17 सितम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनजी, उपसचिव.

Bhopal, the 17th September 2019

NOTICE

F.No.-F-3-70/2018/18-5- The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Niyam, 2012, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 85 read with sub-section (3) of Section 24 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No.23 of 1973), is hereby published as required by sub-section (1) of section 85 of the said Adhiniyam for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the sasid draft of amendment will be taken into consideration on the expiry of Thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestions which may be received from any persons with respect to the said draft of amendment on or before the expiry of the period specified above will be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules, in rule 15,-

1. In Sub-Rule (1),-

(i) for the word "State Government" the word "Director" shall be substituted.

(ii) for the words "owner of land" the words "by the person or group of persons" shall be substituted.

2. Sub-Rule (3) shall be omitted.

3. In sub-rule(4)-

(i) for clause(a), the following clause shall be substituted, namely:-

"(a) If the Director desire so, can get a factual field enquiry report from SITOP as well and applicant shall pay such fees to SITOP for preparing aforementioned factual report, as may have been determined by it."

(ii) In clause (b), for the words "VPS", the word "Directorate" shall be substituted.

(iii) In clause (c), for the words "VPS", the word "Directorate" shall be substituted.

(iv) clause (d) shall be omitted.

4. In Sub-Rule (5),-

(i) for the word "VPS" the word "Joint Director, Town and Country Planning shall be substituted.

(ii) In clause (6), in serial number 6, for the word "Project Director of Madhya Pradesh Vikas Pradhikaran Sangh", the word "Joint Director, Town and Country Planning, Directorate, nominated by the Director", shall be substituted.

5. In Sub-Rule (6), the word "Vikas Pradhikaran Sangh" shall be omitted.

6. In Sub-Rule (7), for the words "State Government" the word "Director" shall be substituted.

7. In Sub-Rule (8), for the words "State Government" the word "Directorate" shall be substituted.

8. In Sub-Rule (9), for the words "State Government" the word "Director" shall be substituted.

9. After Sub-Rule (9), the following Sub-Rule shall be inserted, namely:-

"(9)(a) The Director shall after considering the objections/suggestions will send with his opinion to State Government along with document for modification."

10. In Sub Rule (10), the words "of the Committee" shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
Shubhashish Banerjee, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.